न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 142 / 2023 (2023 / 99)

अपीलार्थीया :-

गंगा पुत्री स्व. मोडाराम, जाति जाट, निवासी मीनों की ढाणी, चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :-

1. देवाराम पुत्र स्व. मोडाराम
2. रामूराम पुत्र हेमाराम
3. भोमाराम पुत्र हेमाराम
4. दुर्गाराम पुत्र हेमाराम
5. कमला पुत्री हेमाराम
6. गुड्डी पुत्री हेमाराम
7. झमू पत्नी हेमाराम
   समस्त जातियान जाट, निवासीगण मीनों की ढाणी, चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 68 मौजा मीनो की ढाणी जो दिनांक 22.05.1993 को तहसीलदार ओसिया द्वारा स्वीकार किया गया।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री बुद्धाराम चौधरी (अपीलार्थीया)।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 तथा 8 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

-: आदेश :- दिनांक :- 19.04.2024

अपीलार्थीया ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 68 मौजा मीनो की ढाणी जो दिनांक 22.08.1993 को तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के पिता स्वर्गीय मोडाराम की खातेदारी भूमि ग्राम मीनो की ढाणी में पटवार हल्का चेराई तहसील ओसियां (वर्तमान तहसील तिंवरी) खसरा नम्बर 1538 व 1539 रकबा 15.03 बीघा आई हुई है। मोडाराम का देहांत हो जाने से फौतेदगी अपीलाधीन नामान्तरकरण उनके पुत्र देवाराम व हेमाराम के नाम से स्वीकृत किया गया, जबकि अपीलार्थीया स्व. मोडाराम की जायंदा पुत्री है। मोडाराम के फौत होते ही उक्त भूमि में अपीलार्थीया का हिस्सा प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के नाते स्वतः ही पैदा हो गया था, लेकिन अपीलार्थीया का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:20 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया, जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थीया ने यह अपील पेश की है।

अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार तिवंरी से तलब किया गया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 20.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 19.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थीया अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश की महिलाएँ होने से राजस्व रिकॉर्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया तथा यही समझती रही की उनके पिता के हक व हिस्से की भूमि में उनका नाम दर्ज हो गया होगा लेकिन जब माह जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त करने के लिए पटवारी से सम्पर्क कर जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी चाही तो पटवारी ने बताया कि आपका नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है तब प्रार्थीया ने अपीलाधीन नामान्तरणकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलार्थीया के पिता के फौत होने पर विरासत के अधिकार अपीलार्थीया को प्राप्त हुए लेकिन तत्कालीन तहसीलदार ओसिया तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार मोडाराम के विधिक वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलार्थीया को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर मोडाराम के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य होने से निरस्त किया जावें।

हमने अपीलार्थीया अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रकरण में यह तथ्य [illegible] हैं कि प्रार्थीया स्वर्गीय मोडाराम की जायंदा पुत्री है तथा इसके [illegible] होते है। प्रार्थीया द्वारा अपील पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:20 IST
Reason: SelfAttested

करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है वह सद्भाविक होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वसीयत मरने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी को न्यागत होगी। प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पूर्व मृतक का पुत्र, पूर्व मृतक की पुत्री, पूर्व मृतक पुत्र की पुत्री, उनकी विधवा व अन्य दर्शाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। द्वितीयतः अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय मोडाराम के केवल पुत्रों के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया गया जबकि स्व0 मोडाराम की पुत्री होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान् है तथा स्व0 मोडाराम की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी भी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 68 मौजा मीनो की ढाणी जो दिनांक 22.08.1993 को तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 मोडाराम के प्रथम श्रेणी के सभी विधिक वारिसानों की जांच कर तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ भेजा जावे।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 19.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:20 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)